



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 406) पटना, सोमवार, 30 मार्च 2015

राजस्व पर्षद, बिहार

अधिसूचना

27 मार्च 2015

सं0 4/एस1-95/2006-1188—बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 (बिहार अधिनियम, II, 1915) की धारा-90 सह पठित धारा-91 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार अधिसूचना सं0-905 दिनांक 21.09.2006 में प्रावधानित उत्पाद प्रपत्र 27'ग' (बी.एस.बी.सी.एल. के लिए प्रावधानित देशी/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति की अनुज्ञप्ति) की शर्त संख्या-2 में उल्लेखित प्रत्याभूत मात्रा पर देय अनुज्ञप्ति शुल्क को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करता है:-

“ अनुज्ञाधारी बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के उपबंधों एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों से जहां तक उनका इससे संबंध हो, आबद्ध रहेगा। वह जिस क्षेत्र में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक बिक्री करना चाहते हैं उस क्षेत्र की प्रत्याभूत मात्रा पर चार रुपये प्रति एल.पी.लीटर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क (लाईसेंस फी) एक मुश्त अग्रिम जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो उतनी ही अधिक मात्रा के लिए अधिक अनुज्ञप्ति शुल्क (लाईसेंस फी) देय होगा”।

2. पर्षदीय अधिसूचना सं0-575 दिनांक 04.03.2011 की कंडिका-2 की उप कंडिका-(ii) में प्रावधानित नियम 106 (1)(ख) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

“थोक बिक्री (सेल टू ट्रेड) के अनुज्ञप्ति शुल्क ₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर बिक्री योग्य विदेशी शराब पर ₹4 (चार रुपये) प्रति एल.पी.एल. एवं बीयर पर ₹2 (दो रुपये) प्रति बल्क लीटर की दर से अग्रिम रूप से अनुज्ञाशुल्क देय होगा”।

यह अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

राजस्व पर्षद् बिहार के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 406-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>